

आगामी दो वर्षों में 500 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य

शिमला/शैल। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह



सुखवू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की वार्षिक ऊर्जा खपत लगभग 13 हजार मिलियन यूनिट है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की हरित नीतियों के परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और आगामी दो वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। 'ग्रीन पंचायत कार्यक्रम' के तहत प्रदेश की सभी पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में 24 ग्राम पंचायतों में ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 16 पंचायतों में कार्य आरंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम के

माध्यम से 150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली से अर्जित राजस्व का 20 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ऊना जिला स्थित पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना ने 15 अप्रैल 2024 को वाणिज्यिक संचालन शुरू किया, जिससे अब तक 79.03 मिलियन यूनिट

बिजली का उत्पादन हुआ और 22.91 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। ऊना की अघलौर सौर परियोजना से 21 मई 2025 से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है, जिससे अब तक 5.89 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। वहीं, भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना ने 30 नवंबर 2024 को व्यावसायिक संचालन शुरू कर अब तक 8.57 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करते हुए 3.10 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में 31 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली तीन सौर ऊर्जा परियोजनाएं निष्पादन चरण में हैं, जबकि 41 मेगावाट क्षमता

की चार परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला के डमटाल क्षेत्र में बंजर भूमि पर 200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति के लांगजा, हिकिकम, मुद और कोमिक जैसे दुर्गम क्षेत्रों के 148 घरों में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत सोलर ऑफ-ग्रिड सिस्टम स्थापित किए गये हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति के अंतर्गत 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की जा

रही हैं, जिनसे उत्पन्न बिजली को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा खरीदा जाएगा। अब तक 547 निवेशकों को लगभग 595.97 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड-माउंटेड सौर परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं, जिनमें से 403.09 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, हिमऊर्जा द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को 728.4 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 150.13 मेगावाट क्षमता की 120 माउंटेड सौर परियोजनाएं पहले ही आवंटित हो चुकी हैं।

शेष पृष्ठ 8 पर.....

संसद के शीतकालीन सत्र में जनहित के आठ विधेयक पारित: अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से



सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस सत्र में जनहित से जुड़े आठ महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद

की मंजूरी मिली है। उन्होंने इसे अठारहवीं लोकसभा के छठे सत्र की उल्लेखनीय उपलब्धि बताया।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश और नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस सामाजिक उत्थान, राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर रहा है, जिसका प्रतिबिंब शीतकालीन सत्र के दौरान पारित विधेयकों में दिखाई देता है।

उन्होंने बताया कि इस सत्र

में संसद ने 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' सहित कुल आठ विधेयकों को मंजूरी दी। इसके अलावा 'भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025', 'सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' तथा वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (प्रथम बैच) और संबंधित विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2025 भी पारित किए गए।

अनुराग ठाकुर के अनुसार,

संसद ने देश में अप्रचलित और पुराने हो चुके 71 कानूनों को निरस्त या संशोधित करने से जुड़े 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही लोकसभा ने 'मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025', 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025' और पान मसाला पर उपकर लगाने से संबंधित 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' को भी ध्वनिमत से पारित किया।

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने आईएएंडएस 2025 बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यारोज स्थित राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी में भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा

पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने में ऑडिट



(आईएएंडएस) के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रशिक्षुओं से संवैधानिक मूल्यों, ईमानदारी और

सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को मर्यादा और संवाद बनाये रखते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाने का आग्रह किया।

समारोह के दौरान राज्यपाल ने अकादमी की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) की संवैधानिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्था सुशासन और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

कार्यक्रम में भूटान और मालदीव के अधिकारी भी शामिल हुए। राज्यपाल ने सतत सीखने और पेशेवर अनुकूलन क्षमता के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रशिक्षुओं को अकादमी के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। राष्ट्रीय अकादमी के महानिदेशक एस. आलोक ने स्वागत किया एवं प्रशिक्षु अधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री ने विभागीय कार्यप्रणाली की समीक्षा की गुणवत्तायुक्त शिक्षा और खेल ढांचे पर जोर

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में

सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा के विस्तार से विद्यार्थियों को समान एवं उत्कृष्ट शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी।



गुणवत्तायुक्त शिक्षा और आधुनिक खेल संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को ठोस दिशा-निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से 100 नए सीबीएसई स्कूल स्थापित कर रही है, जिनमें से 94 स्कूलों को मान्यता मिल चुकी है।

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयार एसओपी शीघ्र ही मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और सीबीएसई शिक्षकों के लिये अलग सब-केडर बनाया जाएगा।

राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल परियोजना पर तेजी से कार्य जारी है। 42 स्थानों पर इन स्कूलों के निर्माण

के लिए 94.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें आधुनिक शैक्षणिक और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री ने नौ खेल छात्रावासों में कोचों के रिक्त पद शीघ्र भरने और आने वाले राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने 389 सहायक प्रोफेसर पदों और अन्य रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया को गति देने, शून्य नामांकन वाले स्कूलों के विलय, तथा पदोन्नत मुख्याध्यापकों को 31 दिसंबर तक पदभार ग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बागवानी को अगले सत्र से वोकेशनल विषय के रूप में शुरू करने की योजना को अंतिम चरण में बताया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तायुक्त, कौशल-आधारित एवं खेल-प्रेरित शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और राज्य शिक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुए।

सशस्त्र सीमा बल का 62वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश में हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया

शिमला/शैल। सशस्त्र सीमा बल (SSB) का 62वां स्थापना दिवस केन्द्रियकृत प्रशिक्षण केन्द्र (CTC) सपड़ी में हर्षोल्लास और अनुशासित माहौल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक संजय रत्नन, हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक

के जवानों ने 'सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

SSB भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियानों और विशेष प्रचालनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परेड में आठ



अशोक तिवारी, बल के वरिष्ठ अधिकारी, जवान, पूर्व अधिकारीगण एवं शहीदों के परिजन के अलावा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह पहली बार था जब स्थापना दिवस परेड का आयोजन हिमाचल में हुआ।

समारोह की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर SSB के 51 वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देकर हुई। महानिदेशक संजय सिंघल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। बल

टुकड़ियों सहित ब्रास एवं पाइप बैंड, श्वान दस्ते तथा महिला प्लाटून की सहभागिता ने समारोह में गरिमा जोड़ी।

संचार निदेशालय द्वारा प्रस्तुत संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी झांकी आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिकूल मौसम के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, उनका संदेश महानिदेशक द्वारा पढ़ा गया जिसमें उन्होंने बल के साहस, अनुशासन और बलिदान को नमन किया।

महानिदेशक संजय सिंघल ने अपने संबोधन में बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच SSB की भूमिका, महिला सशस्त्रकरण, खेल उपलब्धियों, नक्सल विरोधी अभियानों, पर्यावरण एवं विकासोन्मुख पहलों में योगदान को रेखांकित किया।

समारोह में विभिन्न वाहिनियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं कार्मिकों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, उत्कृष्ट संचालन तथा 'बेस्ट बटालियन ट्रॉफी' सहित अन्य सम्मान प्रदान किए गए। राइफल टैटू ड्रिल, डेयर डेविल्स, मास पीटी, फ्यूजन डांस और क्षेत्रीय लोकनृत्यों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को रोमांचक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया।

कार्यक्रम का समापन 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी विशेष धुन के साथ हुआ। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा बढ़ाई।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक: जे.पी. भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

उप-मुख्यमंत्री ने बीएसएमडीए व एचआरटीसी बैठकों की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला के पोटरहॉफ में हिमाचल प्रदेश सिटी ट्रांसपोर्ट एंड बस अड्डा प्रबंधन एवं

कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

बीएसएमडीए बैठक में 'एसेट मैनेजमेंट एप्लिकेशन' लॉन्च किया गया, जिससे बस अड्डों की परिसंपत्तियों एवं



विकास प्राधिकरण (बीएसएमडीए) और एचआरटीसी की बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक एचआरटीसी कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान चार किस्तों में करने की घोषणा की तथा लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के निर्देश दिए।

उन्होंने एचआरटीसी के 'हिम बस पोर्टल' का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से हिम कार्ड ऑनलाइन बनाए जा सकेंगे। साथ ही, एक्सिस बैंक, यूको बैंक और पीएनबी के साथ वेतन खातों के क्रेडिट स्कोर के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। टिकट बुकिंग सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए

संचालन की निगरानी अधिक पारदर्शी होगी। उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न बस अड्डों में 410 दुकानों से प्रतिमाह लगभग 45 लाख रुपये की आय हो रही है।

बैठकों में ठियोग और मंडी सहित विभिन्न स्थानों पर पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई तथा थुनाग, दाड़लाघाट, हमीरपुर, बैजनाथ, भोरंज और फतेहपुर के बस अड्डों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, उपाध्यक्ष एचआरटीसी अजय वर्मा, प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बागवानी किसानों को विशेषज्ञों की सलाह

शिमला/शैल। सर्दियों की वर्षा में कमी के कारण हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विशेष रूप से वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बागवानी फसलें प्रभावित हो रही हैं। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के विशेषज्ञों ने किसानों को सूखे के तनाव से निपटने के लिए आवश्यक सलाह जारी की है।

विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में इस वर्ष 9 अक्टूबर के बाद लगभग 70 दिनों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे फलों के बागों सहित अन्य फसलों में जल-अभाव की स्थिति बन गई है। मौजूदा परिस्थितियों में मिट्टी की नमी तेजी से कम हो रही है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास प्रभावित हो सकता है और वे रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में किसानों को नमी संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सेब, आड़ू, प्लम, खुबानी, पर्सिमन, अखरोट और कीवी के नए पौधों का रोपण फिलहाल टालने की सलाह दी गई है। जिन बागों में रोपण किया जा चुका है, वहां जीवन रक्षक सिंचाई, विशेषकर ड्रिप सिंचाई और मल्टिचिंग

अपनाने की सिफारिश की गई है। सूखी घास या फसल अवशेषों से की गई मल्टिचिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है और खरपतवार की वृद्धि भी नियंत्रित होती है।

विशेषज्ञों ने सूखे के दौरान पेड़ों के बेसिन में खुदाई और भारी छंटाई से बचने तथा पर्याप्त नमी उपलब्ध होने से पहले रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करने की सलाह दी है। गोबर की खाद का सीमित उपयोग किया जा सकता है।

प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को जीवामृत के उपयोग, मल्टिचिंग और वापसा बनाये रखने की सलाह दी गई है। साथ ही, रोग प्रबंधन के लिए सेब के गिरे पत्तों का उचित निपटान, जड़ सड़न, कॉलर रॉट और कैंकर रोग के नियंत्रण हेतु तांबा-आधारित उपचार अपनाने की सिफारिश की गई है।

लंबी अवधि में सूखे से निपटने के लिए विशेषज्ञों ने एकीकृत खेती, फसल विविधीकरण, कम पानी वाली फसलें, प्राकृतिक खेती और मेघदूत ऐप के उपयोग की सलाह दी है, जिससे सूखे के प्रभाव को कम कर किसानों की सहनशीलता बढ़ाई जा सके।

शिमला प्रेसिडेंसी स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित

शिमला/शैल। प्रेसिडेंसी स्कूल, हरिदेवी, घनाहट्टी में वार्षिक परितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस) गोकुल बुटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा को विकास का आधार मानते हुए निर्णायक सुधार लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने विद्यालय द्वारा मूल्य आधारित शिक्षा,

बच्चों के समग्र विकास और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के प्रयासों की सराहना की।

मुख्य अतिथि ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और छात्रों को कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार डोगरा के योगदान को याद किया गया। समारोह का आयोजन विद्यालय की अध्यक्ष उषा डोगरा, प्रबंध निदेशक हिमांशु डोगरा और प्रधानाचार्या देविना शर्मा के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में एंटी-चिट्टा वॉकथॉन का नेतृत्व किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में चिट्टा (सिंथेटिक ड्रग) के खिलाफ जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया, जिसमें विद्यार्थियों, जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। वॉकथॉन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) मैदान से शुरू होकर पुलिस लाइन दोसड़का में समाप्त हुई।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिट्टा नेटवर्क के खिलाफ सख्त कारवाई कर रही है और संदिग्धों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 30 दिनों में राज्यभर में कई संयुक्त छापेमारी अभियान चलाये गये हैं, जिनमें तस्करोँ और सप्लायरों पर कारवाई की गई है। पीआईटी एवं एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 63 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं तथा संदिग्ध संपत्तियों की पहचान और सीमांकन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा निवारण और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में केंद्रों की स्थापना की जा रही है तथा पुनर्वास बोर्ड का



गठन किया गया है। उन्होंने जानकारी देने वालों की पहचान गोपनीय रखने और 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने नशा प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियों की बैठकें

आयोजित किए जाने का उल्लेख करते हुए जन भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। वॉकथॉन के दौरान पुलिस विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम

और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने किया सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ

शिमला/शैल। शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर कमला नेहरू अस्पताल में राज्य स्तरीय

टांचे को आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी में एडवांस पीडियाट्रिक



‘सघन पल्स पोलियो अभियान’ का शुभारम्भ किया और शिशुओं को पोलियो रोधी खुराक पिलाई। इस अवसर पर उन्होंने चिकित्सकों, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं व प्रशासनिक टीमों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक आधारभूत

सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों के लिये अस्पतालों में ओपीडी परामर्श हेतु विशेष स्लॉट निर्धारित किये जाएंगे, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है तथा स्वास्थ्य

मुख्यमंत्री ने घुमारवीं में 69 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

शिमला/शैल। जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने लगभग 69 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व

शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 4.82 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए पुलिस थाना घुमारवीं तथा 3.67 करोड़ रुपये की लागत से सीर खड्ड में निर्मित चैक डैम एवं डाईक का उद्घाटन किया।



शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दो उद्घाटन और पांच शिलान्यास

इसके अतिरिक्त उन्होंने 6.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले

बहुउद्देशीय खेल परिसर, छः करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित पुलिस फैमिली क्वार्टर्स तथा 6.13 करोड़ रुपये की लागत वाली अमरपुर-हड़सर-डाहड़-जमन-घुमारवीं सड़क उन्नयन परियोजना का शिलान्यास किया।

इसी क्रम में 34.95 करोड़ रुपये की लागत से घुमारवीं-बरठी-शाहतलाई सड़क के उच्चीकरण कार्य तथा 6.80 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 68 मीटर लंबे स्पैन पुल की आधारशिला भी रखी गई।

इस दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जनता से संवाद किया और समस्याओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद गोमा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

शहरी क्षेत्र के छोटे दुकानदारों को मिलेगा लघु कल्याण योजना का लाभ: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छोटे दुकानदारों को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि यह योजना वर्ष 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी, जिसे अब बजट घोषणा 2025-26 के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत उन दुकानदारों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनका वार्षिक कारोबार 10 लाख रुपये से कम है, जिन्होंने बिना जमानत के व्यावसायिक ऋण लिया है और जिनके खाते एनपीए घोषित हैं।

राज्य सरकार के अनुसार वन टाइम सेटलमेंट के तहत बैंक के माध्यम से छोटे दुकानदारों को एक लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। जिनका कुल बकाया एक लाख रुपये तक है, उसे पूरी तरह समायोजित किया जाएगा, जबकि अधिक राशि होने पर शेष भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को पारदर्शी और सरल बनाया गया है। बैंकों, शहरी स्थानीय निकायों तथा शहरी विकास विभाग के माध्यम से दावों के समयबद्ध निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और किसी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यह योजना फल-सब्जी विक्रेता, चाय-ढाबा संचालक, मोची, नाई, पान-चाट विक्रेता, दर्जी, किराना दुकानदार, मोबाइल मरम्मत करने वाले और अन्य छोटे व्यवसायियों को लाभ पहुंचाएगी।

उन्होंने बताया कि यह सुविधा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए बिना जमानत वाले ऋणों पर लागू होगी। धोखाधड़ी या जानबूझकर ऋण न चुकाने के मामलों को इससे बाहर रखा जाएगा। आवेदन शहरी स्थानीय निकायों में जमा होंगे और सत्यापन के बाद बैंक प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना दुकानदारों को ऋण निपटाने, एनपीए खातों को बंद करने और व्यवसाय के विस्तार में मदद करेगी, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

डेलॉइट के ‘आरोहण 2025’ सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश को विशेष सम्मान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को अपनी अनोखी और नागरिक-केन्द्रित डिजिटल पहल ‘हिम परिवार परियोजना’ के लिए डेलॉइट के प्रतिष्ठित सरकारी सम्मेलन ‘आरोहण (Arohana) 2025’ में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान राज्य की डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार, पारदर्शिता और कुशल सेवा-प्रवाह के प्रति प्रतिबद्धता का राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रमाण है।

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने Plenary Leadership Lecture में राज्य की प्रौद्योगिकी-संचालित नीति सुधारों को प्रस्तुत किया। उन्होंने ‘हिम परिवार परियोजना’ को एक गेम-चेंजर करार देते हुए कहा कि इस पहल ने विभागीय डेटा एकीकरण, लक्षित योजना-कार्यान्वयन, अपात्र लाभार्थियों की पहचान तथा वित्तीय पारदर्शिता को नई गति दी है। मुख्यमंत्री ने हिमएक्सेस और हिमसेवा जैसी पहलों को भी उजागर किया, जो नागरिकों को सरल, त्वरित और सर्वसमावेशी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, विशेषकर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में।

उन्होंने IT व डिजिटल गवर्नेंस विभाग के उत्कृष्ट योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार



(DTG एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, निदेशक डॉ. निपुण जंदल तथा उनकी टीम के प्रयासों को निर्णायक बताया।

यह सम्मान हिमाचल को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी और नवप्रवर्तनशील राज्य के रूप में स्थापित करता है तथा एक सुरक्षित, पारदर्शी और भविष्य-उन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत रूप में रेखांकित करता है।

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 शिमला में 3 दिवसीय उद्यमिता महोत्सव, छोटे उद्योगों के लिए नए अवसर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग आगामी 3 से 5 जनवरी 2026 तक शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का आयोजन कर रहा



है। इसे राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जिसमें स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की संभावना देखी जा रही है। इस फेस्ट में हस्तशिल्प, हैंडलूम,

ऑर्गेनिक उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा एवं नवाचार-आधारित स्टार्टअप प्रमुख आकर्षण होंगे। आयोजन के दौरान विशेषज्ञ उद्यमियों को फंडिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, निर्यात और ई-कॉमर्स से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देगे।

फेस्ट का उद्देश्य राज्य में निर्मित उत्पादों को बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तक पहुंचाना है, जिससे स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार और पहचान मिल सके। यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों, कारीगरों और युवा स्टार्टअप के लिए भी अवसर प्रदान करेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. नजीम ने कहा कि यह फेस्ट एमएसएमई सेक्टर के विस्तार के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को गति देगा और राज्य में उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।

अपने मिशन में अटूट विश्वास से प्रेरित दृढ़ निश्चयी लोगों का एक छोटा समूह इतिहास की दिशा बदल सकता है

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

हिमाचल का आर्थिक संकट क्यों?



हिमाचल सरकार जिस तरह के आर्थिक संकट में घिर गयी उसने हर व्यक्ति का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रखा है। क्योंकि इस समय सरकार का कुल कर्जभार एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। चिन्ता और चिन्तन इस बात की है कि हमारे माननीय विधायकों ने एक भी विधानसभा सत्र में इस पर कोई चर्चा नहीं की कि इस बढ़ते कर्ज से कैसे मुक्ति मिल सकती है। जबकि अपने

वेतन भत्ते बढ़ाने के लिये सभी ध्वनि मत से एक थे। सुक्खू सरकार ने जब कार्यभार संभाला था तो प्रदेश पर पचहत्तर हजार करोड़ का कर्ज था और दस कज्जर करोड़ की देनदारियां पिछली सरकार विरासत में छोड़ गयी थी। सुक्खू सरकार अब तक 29046 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अगले 2 वर्षों में इतना ही कर्ज और लेना पड़ेगा। क्योंकि आगे तो चुनावी वर्ष होगा सरकार चुनाव की नजर से कर्ज लेगी। यह एक स्थापित सत्य है कि बढ़ते कर्ज के कारण सरकार को अपना राजस्व व्यय कम करना पड़ता है जिसका सीधा प्रभाव स्थायी सरकारी रोजगार पर पड़ेगा और हिमाचल में सरकार ही सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता है। जो सरकार इस समय ही मल्टीटास्क वर्कर भर्ती से मित्र योजना तक पहुंच गयी है उसे यह मित्र योजनाएं भी बन्द करनी पड़ेगी। सुक्खू सरकार ने अब तक 26683 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है जिसका अर्थ है कि यह सरकार हर बार कर्ज मुक्त बजट देकर इतने का करभार प्रदेश की जनता पर लाद चुकी है। इस राजस्व जुटाने से क्या आम आदमी को कोई राहत मिलती है शायद नहीं। प्रदेश का कर्जभार जीडीपी के 44% से बढ़ गया है जबकि यह पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसी के साथ प्रदेश के 90% लोगों के बैंक खाते हैं और कर्ज केवल 4% ने ही ले रखा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2.57 हजार है और कर्ज एक लाख है जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2.57 हजार हो क्या उस प्रदेश में सरकार पर आर्थिक संकट होना चाहिये? क्या उस प्रदेश के आम आदमी को सरकार के सस्ते राशन पर निर्भर रहना चाहिए? व्यवहारिक रूप से शायद नहीं। लेकिन आज हिमाचल बेरोजगारी में छोटे स्थान पर पहुंच चुका है और आम आदमी की सस्ते राशन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिये है कि इन आंकड़ों का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। यह आंकड़े सरकार को प्रभावित करते हैं। एक बड़े निवेश से सरकार का जीडीपी बढ़ जाता है और उससे सरकार की कर्ज लेने की सीमा बढ़ जाती है जिसका आम आदमी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकारें कर्ज लेकर और एक दूसरे को दोष देकर अपना काम निकाल लेती हैं लेकिन कालान्तर में इसका कुप्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। इसलिये यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि कहीं सरकार की सोच और योजनाएं ऐसी तो नहीं रही जिनका प्रदेश के आम आदमी के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। क्योंकि स्व. रामलाल ठाकुर के कार्यकाल तक प्रदेश पर कोई कर्ज भार नहीं था। हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है और इस नाते कृषि और बागवानी के लिये तो अनुकूल है पर शायद औद्योगिकरण के लिये नहीं। क्योंकि उद्योग के लिये कच्चा माल और उपभोक्ता दोनों में से एक का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है और यह दोनों तत्व प्रदेश में बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। प्रदेश में खनिज के रूप में सीमेंट बनाने के लिये पर्याप्त कच्चा माल है। लेकिन संयोग से इस उद्योग में हिमाचल सरकार की अपनी कोई इकाई स्थापित नहीं है। सीमेंट के अतिरिक्त प्रदेश में नदी जल की काफी उपलब्धता है। इसका दोहन जल विद्युत परियोजनाओं के लिये हुआ। लेकिन इसमें भी जब 1980 के दशक में बिजली बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन स्व.कैलाश महाजन की बोर्ड से बर्खास्तगी के बाद प्रदेश सरकार इस दिशा में अपने स्वामित्व में कोई बड़ी योजना स्थापित नहीं कर पायी है। उस समय बसपा परियोजना बोर्ड से छीनकर जेपी उद्योग को दे दी गयी। इस पर तब तक हुआ सोलह करोड़ का निवेश जेपी. से कभी वापस नहीं मिला। बल्कि जब यह राशि बढ़कर 92 करोड़ हो गयी तो इस बट्टे खाते में डाल दिया गया। कैंग ने इस पर गंभीर सवाल उठाये हैं जिन्हें नजर अन्दाज कर दिया गया। आज जिस मुकाम पर स्थितियां पहुंच चुकी हैं उससे अब तक के इतिहास पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है।

सीरत-उन्नबी को भी जान लीजिए, यह मुसलमान और गैर-मोमिन दोनों के लिए प्रासंगिक है



गौतम चौधरी

हर मोमिन के दिल में पैगंबर मोहम्मद के जीवन और चरित्र के प्रति गहरा सम्मान मौजूद है। मोमिन ही क्यों, पैगंबर मोहम्मद के प्रति वे सभी प्रेम रखते हैं जिनके लिए मानवता सवार्मपरी है। सीरत-उन्नबी केवल ऐतिहासिक जीवनी या प्रेरणादायक घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि रहन-सहन की वह मार्गदर्शिका है, जो दिखाती है कि अल्लाह की वाही को कैसे समझा और जीवन में लागू किया जाये। सीरत का अध्ययन इस्लाम की शिक्षाओं से जुड़ने का माध्यम है, क्योंकि पवित्र कुरान पैगंबर को “उस्वा-ए-हसना” यानी सर्वोत्तम आदर्श कहता है। उनकी जिंदगी यह दिखाती है कि इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप कैसे जिया जाए।

सीरत की महत्ता उसकी व्यावहारिक मिसालों और व्यापक प्रासंगिकता में निहित है। पैगंबर एक सक्रिय और बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने एक युग को प्रारंभ किया और पूरी मानवता को दिशा दी। इसलिए पैगंबर मोहम्मद को जानना बेहद जरूरी है। एक खानदान के सरबराह के रूप में उनकी पत्नियों और पोते-पोतियों के साथ व्यवहार पारिवारिक जीवन की मिसाल है। एक काजी के रूप में उनके फैसले न्याय के उत्कृष्ट नमूने हैं। एक नेता के रूप में उनके समझौते, ईमानदारी और विश्वसनीयता प्रसिद्ध हैं। सैन्य मामलों में उनके सिद्धांत, विशेषकर गैर-लड़ाकों को नुकसान न पहुंचाने का आदेश, नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी जिंदगी “जिंदा कुरान” की तरह है, जो दिव्य सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देती है। सीरत कुरान की समझ को आसान बनाती है और उसे दैनिक जीवन में लागू करने का तरीका सिखाती है।

सीरत का एक महत्वपूर्ण

पहलू न्याय (अदल) पर पैगंबर मोहम्मद का जबर्दस्त जोर देखने को मिलता है। एक हाकिम और लीडर के रूप में उन्होंने सामाजिक दर्जे, कबायली पहचान या धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना पूर्ण निष्पक्षता दिखाई। एक मशहूर घटना में एक सम्मानित कबीले की महिला के गुनाह पर सिफारिश की कोशिश की गई, तो उन्होंने नाराज़गी जताई और कहा कि न्याय हर हाल में बराबर होना चाहिए। उन्होंने कानून की हुकूमत पर आधारित समाज स्थापित किया, जहां मज़लूम की मदद फरीज़ा और न्याय बिल्कुल निष्पक्ष हो। यह सिद्धांत आज के विविध समाज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना उस समय था।

सीरत, औरतों के अधिकारों और सम्मान पर भी गहरी रोशनी डालती है। जाहिलियत के दौर में औरतें उपेक्षित थीं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने उनकी इज्जत और अधिकारों को स्थापित किया। वे अपनी बेगमात से मशविरा लेते और उनकी राय की कद्र करते। खदीजा रज़ि. सफल औरत कारोबारी से शादी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के सम्मान को दर्शाती है। आखिरी खुत्बे में उन्होंने औरतों के साथ भलाई और इंसान से पेश आने की ताकदी की। सीरत में औरतों के मस्जिद जाने, कारोबार करने और सामाजिक योगदान के उदाहरण मौजूद हैं। यह आपसी सम्मान और बराबरी के मूल सिद्धांतों की ओर संकेत करता है।

पैगंबर की जिंदगी रहम और बर्दाश्त से भी भरी हुई थी। पैगंबर मोहम्मद कभी मुस्लिम और गैर-मुस्लिम में फर्क ही नहीं करते थे। न्याय के मामले में वे दोनों को बराबर मानते थे। वे “रहमतुल्लिल-आलमीन” थे। फ़त्हे मक्का के दौरान उन्होंने अपने सताने वालों को माफ़ कर दिया था। गैर-मुस्लिम समुदायों के साथ उनके रिश्ते सहअस्तित्व और सुरक्षा पर आधारित थे। मदीना इसका उदाहरण हैं, जहां उन्होंने एक बहुलवादी समाज की स्थापना की थी। मदीने में यहूदी कबीलों के साथ ही अन्य आस्था वालों को पूर्ण धार्मिक

स्वतंत्रता और सुरक्षा मिली हुई थी। ज़िम्मियों के हक के बारे में उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी जान, माल और इबादतगाहें सुरक्षित रहनी चाहिए। बीमार गैर-मुस्लिम पड़ोसियों की मुलाकात जैसी घटनाएं उनकी रहमत का प्रमाण हैं। यह मिसाल भारत जैसे बहु-धार्मिक समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे मुस्लिम समाज में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सीरत, वतन से प्राकृतिक मोहब्बत को भी दर्शाती है। अंतिम वफ़ादारी ख़ालिफ़ के लिए है, लेकिन इंसान का अपने जन्मस्थान से लगाव स्वभाविक है। हिजरत के वक़्त पैगंबर ने मक्का के लिए अपना प्यार और रंज व्यक्त किया। उलमा इसे वतन से मुहब्बत की दीन-संगत भावना बताते हैं, जो एक मुसलमान को अपने मुल्क की तरक्की और भलाई में योगदान देने की प्रेरणा देती है। इसलिए जो मुसलमान यह सोचता है कि गैर-मुस्लिम देश उसके लिए नहीं हैं, यह धार्मिक रूप से सही नहीं है। इस्लाम कभी किसी को अपने देश के साथ गद्दारी की शिक्षा नहीं देता है। एक सच्चा मुसलमान मुल्क और अपनी मातृभूमि दोनों से प्रेम करता है और हर वक़्त उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है।

इस तरह पैगंबर की जिंदगी आज के मुसलमानों के लिए गहरा मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। खास कर भारत जैसे विविध और जटिल समाज पैगंबर के जीवन को बताया और यहां तक की पढ़ाया भी जाना चाहिए। न्याय, औरतों की इज्जत, रहम, बर्दाश्त और वतन से मोहब्बत, ये सभी उसूल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितना उस समय था। सीरत, एक कालजयी आदर्श संहिता है, जो इंसान को ईमानदारी, उद्देश्य और सामाजिक योगदान की राह दिखाता है। इन शिक्षाओं को अपनाकर मुसलमान समाज में सद्भाव, इंसान और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा दे सकते हैं। अन्य आस्था वालों को यदि इसकी जानकारी होगी तो उनके मन में जो इस्लामोफोबिया पनप गया है वह यदि दूर नहीं होगा तो कमजोर जरूर पड़ेगा।



डॉ. नीलम महेंद्र

दिल्ली की हवा अब केवल प्रदूषित नहीं है, वह हमारे समय की सबसे बड़ी चुपचाप फैलती हुई आपदा बन चुकी है। यह संकट अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों की लापरवाही, गलत प्राथमिकताओं और आधे-अधूरे समाधानों का नतीजा है। हर सदी में जब स्मॉग की मोटी परत राजधानी को ढक लेती है, तब हम कुछ दिनों के लिए चिंतित होते हैं, फिर हालात सामान्य दिखने लगते हैं और हम मान लेते हैं कि समस्या टल गई। लेकिन सच यह है कि समस्या कहीं नहीं जाती, वह हमारे फेफड़ों में जमा होती रहती है।

दिल्ली के प्रदूषण को समझने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि इसका कोई एक कारण नहीं है। यह कई स्रोतों से पैदा हुआ एक सम्मिलित संकट है। वाहनों की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 1.2 करोड़ से अधिक है। इनमें से बड़ी संख्या डीजल आधारित है, जो PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे घातक प्रदूषक छोड़ती है। इसके अलावा रोजाना लगभग 10-12 लाख वाहन दिल्ली में बाहर से प्रवेश करते हैं। यह संख्या किसी भी महानगर के लिए असामान्य है और यही वजह है कि सड़क परिवहन दिल्ली के कुल प्रदूषण में लगभग 30 प्रतिशत तक योगदान देता है।

निर्माण गतिविधियां दूसरा बड़ा कारण हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर बन चुका है जो लगातार खुद को तोड़कर फिर से बना रहा होता है। फ्लाईओवर,

दिल्ली प्रदूषण: पर्यावरण नहीं स्वास्थ्य की समस्या बन चुका है

मेट्रो विस्तार, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और व्यावसायिक परिसरों के कारण उड़ने वाली धूल PM10 का प्रमुख स्रोत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शहरी धूल दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 15-20 प्रतिशत तक योगदान देती है। नियमों के बावजूद अधिकांश निर्माण स्थल खुले रहते हैं, जहां न तो पानी का छिड़काव नियमित होता है और न ही धूल रोकने की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल।

इस क्रम में औद्योगिक प्रदूषण को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हजारों छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, जो कोयला, फर्नेस ऑयल और अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों का उपयोग करती हैं। ईट भट्टे, प्लास्टिक जलाना, अवैध फैक्ट्रियां और कचरे का खुले में दहन-ये सब मिलकर हवा को और जहरीला बनाते हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि उद्योग और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े स्रोत दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 15 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखते हैं।

इन सबके बीच पराली जलाने का मुद्दा हर साल चर्चा के केंद्र में आता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, अक्टूबर-नवम्बर के दौरान दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान औसतन 20 से 35 प्रतिशत के बीच रहता है। कुछ चरम दिनों में, जब हवा की दिशा प्रतिकूल होती है, यह योगदान 40 प्रतिशत तक भी पहुंच जाता है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि साल के बाकी महीनों में, जब पराली नहीं जलाई जाती, तब भी दिल्ली की हवा खराब ही रहती है। इससे साफ है कि पराली एक अहम कारण है, लेकिन उसे ही पूरे संकट का दोषी ठहराना एक आसान, लेकिन अधूरा तर्क है।

इन तमाम कारणों का नतीजा यह है कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में लगातार शीर्ष पर बनी हुई है।

नवम्बर 2024 में तो दिल्ली के कुछ इलाकों का aqi 1000 के पार चला गया था जबकि इसका सामान्य मानक शून्य से 50 के बीच होता है। यह कोई नजरअंदाज करने वाला तथ्य नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि राजधानी की हवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से कई गुना ज्यादा जहरीली हो चुकी है। WHO के अनुसार PM2.5 का सुरक्षित स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि दिल्ली में सर्दियों के दौरान यह स्तर 150 से 300 तक पहुंच जाता है। यानी सुरक्षित सीमा से 30 से 60 गुना अधिक।

इस प्रदूषण का असर अब आंकों से आगे बढ़कर इंसानी शरीर पर साफ दिखने लगा है। दिल्ली में हर साल लाखों लोग सांस संबंधी बीमारियों के लिए इलाज करवाते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों में भी प्रदूषण की भूमिका को अब वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया जा चुका है। लेकिन सबसे भयावह असर बच्चों पर पड़ रहा है। हालिया मेडिकल रिसर्च में यह सामने आया है कि दिल्ली के कई बच्चों के फेफड़ों में ऐसे पैच देखे गए हैं, जो कोविड के बाद दिखाई देने वाले फेफड़ों के नुकसान से मिलते-जुलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां कारण संक्रमण नहीं, बल्कि लगातार जहरीली हवा में सांस लेना है।

बच्चों के शरीर पर इसका असर इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि उनके फेफड़े और प्रतिरक्षा तंत्र अभी विकसित हो रहे होते हैं। शोध बताते हैं कि प्रदूषित हवा में पले-बढ़े बच्चों की फेफड़ों की क्षमता सामान्य बच्चों की तुलना में 10-20 प्रतिशत तक कम हो सकती है। इसका असर केवल उनके स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि उनकी सीखने की क्षमता, शारीरिक विकास और भविष्य की उत्पादकता पर भी पड़ता है। यह एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई वर्षों बाद भी मुश्किल

होती है।

ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि शोध आधारित वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक उपायों से इस गम्भीर संकट का सामना किया जाए।

हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। ग्रैप के तहत आपातकालीन प्रतिबंध, ऑड-ईवन योजना, स्कूलों का अस्थायी बंद होना, निर्माण कार्यों पर रोक और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा-ये सभी कदम दिखाते हैं कि समस्या को स्वीकार किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उपाय पर्याप्त हैं। सच तो यह है कि ये अधिकतर प्रतिक्रियात्मक कदम हैं, न कि निवारक क्योंकि सालों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

इन परिस्थितियों में हमें दुनिया के उन शहरों से सीखने की जरूरत है जिन्होंने कभी ऐसे ही संकट का सामना किया था। लंदन का 'ग्रेट स्मॉग' (1952) एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जिसने वहां की सरकार को 'क्लीन एयर एक्ट' लाने पर मजबूर किया। आज लंदन की हवा दिल्ली से कहीं बेहतर है क्योंकि वहां निजी वाहनों पर भारी 'कंजेशन चार्ज' लगाया गया और सार्वजनिक परिवहन को विश्व स्तरीय बनाया गया। इसी तरह, बीजिंग ने पिछले एक दशक में अपने प्रदूषण स्तर को 40% तक कम किया है। उन्होंने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को शहर से बाहर किया, इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य स्तर तक बढ़ावा दिया और 'रीयल-टाइम' सख्त निगरानी प्रणाली लागू की। दिल्ली भी इन उपायों पर काम करके प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकती है।

इसके साथ ही, शहरी हरित क्षेत्र भी बढ़ाने होंगे। रिसर्च यह बताती है कि यदि किसी शहर के कुल क्षेत्रफल का 20-25 प्रतिशत हिस्सा हरित क्षेत्र हो, तो प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय

गिरावट आ सकती है। दिल्ली इस मानक से काफी पीछे है।

निर्माण और उद्योग के क्षेत्र में तकनीक आधारित सख्त निगरानी की जरूरत है। रियल-टाइम मॉनिटरिंग, स्वचालित जर्माना प्रणाली और पारदर्शी डेटा सार्वजनिक करना ऐसे कदम हैं, जो केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर असर दिखा सकते हैं। पराली के मामले में भी किसानों को दोषी ठहराने के बजाय पराली को ऊर्जा में परिवर्तित करके उसे समाधान का हिस्सा बनाना होगा। अनेक वैज्ञानिक विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जब तक उन्हें व्यवहारिक रूप से अपनाया नहीं जाएगा, तब तक समस्या बनी रहेगी।

इस संकट की गंभीरता को जनसंख्या के संदर्भ में भी देखना जरूरी है। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर की आबादी लगभग 4 से 5 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 3 से 4 प्रतिशत हिस्सा है। यानी देश का हर पच्चीसवां नागरिक इस क्षेत्र में रहता है। यदि इतनी बड़ी आबादी लंबे समय तक जहरीली हवा में सांस लेती रहे, तो इसका असर केवल स्थानीय नहीं रहेगा। यह देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव डालेगा, कार्यबल की उत्पादकता घटाएगा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को कमजोर करेगा।

इन परिस्थितियों में दिल्ली का प्रदूषण अब मात्र पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता का भी सवाल बन चुका है। यह उस बच्चे की पीड़ा बन चुका है जो मास्क पहनकर स्कूल जाता है, उस बुजुर्ग की बेबसी बन चुका है जो सुबह की सैर छोड़ने के लिए मजबूर है, और उस परिवार की मजबूरी बन चुका है जो खिड़कियां बंद करके भी साफ हवा नहीं पा सकता। अगर आज भी हम इसे केवल मौसमी समस्या मानते रहे, तो इतिहास हमें उस पीढ़ी के रूप में याद रखेगा जिसने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास में सरकार की नीतिगत योजनाएं बनी वरदान

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य का समावेशी विकास करने के लिए अभिनव कदम उठा रही है। सरकार दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए संवेदनशील है। प्रदेश में लगभग 5.71 प्रतिशत जनजातीय आबादी है। इनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए राज्य योजना का नौ प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आवंटित किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए इस कार्यक्रम के तहत 2,386.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह प्रयास सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों को प्रदर्शित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत 638.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक पहल करते हुए पांगी घाटी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित किया है। किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने पांगी के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना भी शुरू कर दिया है। लगभग 40 मीट्रिक टन जौ

की खरीद सुनिश्चित की जा चुकी है, जिससे क्षेत्र के किसान लाभान्वित हुए हैं। फरवरी 2024 में स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया।

जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रों में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बस और ट्रेक्टर वाहनों की खरीद पर पात्र युवाओं को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा सड़क कर पर चार माह की छूट प्रदान की जाएगी। जनजातीय इलाकों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में 100 किलोवाट से दो मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए पांच प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान करेगी।

इन क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन, सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण पर लगभग 476 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में 3,148 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों का निर्माण किया गया है। क्षेत्र में लगभग 61 प्रतिशत पक्की सड़कें हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बर्फ से ढके क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण

करने का निर्देश दिए हैं ताकि मार्च-अप्रैल में निर्माण कार्यों को शुरू किया जा सके। किन्नौर में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निगुलसरी में नई सड़क का निर्माण किया जाएगा।

जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निचार, भरमौर, पांगी और लाहौल में चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें वर्तमान में 1,008 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। पांगी और कुकुमसेरी में नये परिसरों के लिए आधारशिला रखी गई है। पांगी और लाहौल में निर्माण कार्य प्रगति पर है और भरमौर में इस विद्यालय के निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है। निचार में अतिरिक्त छात्रावास संबंधी निर्माण कार्य प्रगति पर है। जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 40.29 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इन क्षेत्रों में दो क्षेत्रीय अस्पताल, छह नागरिक अस्पताल, पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तीन आयुर्वेदिक अस्पताल, 73 आयुर्वेदिक औषधालय, 48 पशु चिकित्सालय, 118 पशु चिकित्सा

औषधालय और पांच भेड़ और ऊन विस्तार केंद्र स्थापित किए गए हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। किन्नौर में शिपकी-ला में सीमावर्ती पर्यटन शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप शिपकी-ला में पर्यटकों की संख्या में तीन गुणा वृद्धि हुई है। राज्य सरकार शिपकी-ला से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए प्रयासरत है और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया है। तिब्बत के साथ पारंपरिक व्यापारिक गतिविधियां पुनः शुरू करने के प्रयास भी जारी हैं। बौद्ध पर्यटन सर्किट और एस्ट्रो-पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लाहौल-स्पीति के काज़ा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारम्भ किया गया है। चंद्रताल, तांदी, काज़ा, रकछम और नाको-चांगो जैसे अनछुए पर्यटक स्थलों को विशेष दृष्टिगत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में भी सतत विकास पर बल देते हुए कार्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कड़ी में लांगजा, हिक्किम, मुड और कोमिक जैसे दुर्गम गांवों के 148 घरों में सोलर ऑफ-ग्रिड सिस्टम लगाए गए हैं। पांगी घाटी के गांवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। काज़ा में दो मेगावाट का सोलर पावर संयंत्र क्रियाशील है, जबकि पांगी

के धनवास में 1.2 मेगावाट और स्पीति के रंगटोंग में 2 मेगावाट के सोलर पावर संयंत्र को शीघ्र ही क्रियाशील किया जाएगा।

जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ स्वीकृत करने की मांग प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस पर राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत सितम्बर, 2025 तक 1,039 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। जनजातीय क्षेत्र किन्नौर और स्पीति के लोगों की सुविधा के लिए रामपुर में जनजातीय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नूरपुर जनजातीय भवन शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार के प्रयासों से जनजातीय क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति पर आय राज्य की औसत से अधिक है। इसके साथ-साथ लिंगानुपात के साथ अन्य मापदण्डों भी यह क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार की नीतियों और योजनाओं से पक्कि में खड़े अन्तिम व्यक्ति तक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आर्थिक सम्पन्नता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हैं।

पेंशनर्स दिवस पर मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान की सराहन की, एरियर भुगतान पर 2,155 करोड़ खर्च

शिमला/शैल। पेंशनर्स दिवस पर घुमारवीं में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सेवानिवृत्त

पुरानी पेंशन योजना बहाल कर लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार द्वारा भुगतान न किए गए वेतन और

अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों के एरियर का पूरा भुगतान किया गया है, जबकि विभिन्न आयु वर्गों में 35 से 80 प्रतिशत तक एरियर भुगतान किया गया है। ग्रेच्युटी एरियर के आंशिक भुगतान की जानकारी भी उन्होंने साझा की।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरियर व पेंशन गणना में लाभ देने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा 30 दिन में करने तथा राजस्व सुधार के बाद शेष एरियर भुगतान को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए नीति पर विचार किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग की आवश्यकता दोहराई।

समारोह में पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख रुपये का चेक भेंट किया। कार्यक्रम में मंत्री, जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे।



कर्मचारियों के योगदान से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने पेंशनरों के समर्पण, सेवा और अनुभव को राज्य की प्रगति में अहम बताते हुए उन्हें नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने

पेंशन एरियर को वर्तमान सरकार चरणबद्ध तरीके से अदा कर रही है। अब तक कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर पर 2,155 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से

संसाधन सृजन के सहारे आत्मनिर्भरता की ओर कदम: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों में अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पूर्व सरकार के औसत राजस्व से लगभग 3,800 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने बताया कि शराब के ठेकों की नीलामी-सह-निविदा प्रणाली लागू किए जाने से राज्य को 5,408 करोड़ रुपये की आय हुई, जबकि पूर्व सरकार के कार्यकाल में यह राशि 1,114 करोड़ रुपये तक सीमित रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंधन में असंतुलन के कारण प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज और कर्मचारियों पर 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियों का बोझ पड़ा। उन्होंने बताया कि राजस्व

घाटा अनुदान वर्ष 2021-22 के 10,249 करोड़ रुपये की तुलना में 2025-26 में घटकर 3,256 करोड़ रुपये रह गया है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की आय का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा ऋण और ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है, तथा वर्तमान में लिए गए 29,046 करोड़ रुपये के ऋण में से केवल 8,693 करोड़ रुपये ही विकास कार्यों के लिए उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने अदालत द्वारा वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति संबंधी निर्णय और कड़छम-वांगतु जल विद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किए जाने को संसाधन सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इससे प्रदेश को क्रमशः 401 करोड़ रुपये और 150 करोड़ रुपये वार्षिक

अतिरिक्त आय मिलने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं के भूमि पट्टे की अवधि 99 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष करने तथा समाप्त हो चुके या समाप्त होने वाले पट्टों के पुनर्मूल्यांकन से राज्य को दीर्घकालिक आय लाभ होगा।

चंडीगढ़ की परिसंपत्तियों में राज्य के हिस्से, बीबीएमबी की देय राशि की वसूली तथा निविदा समय-सीमा में कटौती जैसे कदम भी आय बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और वर्ष 2032 तक इसे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार, हरित ऊर्जा और वित्तीय प्रबंधन इस दिशा में प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।

मुख्यमंत्री ने नादौन-हमीरपुर-घुमारवीं-दिल्ली वॉल्वो बस सेवा को हरी झंडी दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन के उपरांत नादौन-हमीरपुर-घुमारवीं-दिल्ली वॉल्वो बस सेवा का शुभारंभ किया। नई वॉल्वो बस प्रतिदिन सुबह 7 बजे नादौन से प्रस्थान करेगी और दिल्ली शाम 4:40 बजे पहुंचेगी। वापसी में बस दिल्ली से सुबह 8:30 बजे रवाना होगी और शाम 6:30 बजे नादौन पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि यात्री अब यूपीआई, डेबिट-कार्ड और क्रेडिट-कार्ड के माध्यम से किराया चुका सकेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा लागू की है, जिससे देश के विभिन्न परिवहन

माध्यमों में यात्रा करना संभव होगा।

उन्होंने बताया कि परिवहन निगम



के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं, जबकि 25 नई वॉल्वो बसों के साथ निगम में वॉल्वो की संख्या 98 हो गई है। इसी के साथ 50 टेंपो ट्रैवलर, 24 सुपर लक्जरी बसें और 250 डीज़ल बसें खरीद प्रक्रिया में हैं।

राज्य में 234 नए रूट जारी

किए जा रहे हैं, और 18 सीटर तक के टेंपो ट्रैवलर संचालन के लिए 350

परमिट आवंटन जारी है। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए छह ग्रीन कॉरिडोर पर पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जबकि विभिन्न सरकारी व निजी स्थलों पर कुल 351 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता नशा उन्मूलन और विकास योजनाओं पर किया जोर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' थीम पर आधारित कार्यक्रम की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मनरेगा को समाप्त करने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध किया और कहा कि यह गरीब वर्ग के हितों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने

राज्य में रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने, किसानों की आय सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर सरकार की प्राथमिकता दोहराई।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण, राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी तथा नशा विरोधी अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी

है और आगामी छः माह में चिट्टा तस्करो की संपत्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदौरा उत्सव को जिला स्तरीय उत्सव का दर्जा दिया जाएगा।

समारोह में विधायक मलेंद्र राजन सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई।

उप-मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पीटरहॉफ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली

प्रदान करना है।

बैठक में जल आपूर्ति योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और विभाग से संबंधित नए प्रस्तावों पर विस्तार से



बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभागीय योजनाओं और विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

उप-मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही जल आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को कार्य गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना तथा किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधाएं

चर्चा की गई। उप-मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरी की जाएं, ताकि जनता को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी फील्ड का नियमित निरीक्षण करें और जमीनी स्तर पर मौजूद चुनौतियों के समाधान पर ध्यान दें।

बैठक का संचालन प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा ने किया।

उद्योग मंत्री ने खादी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 246वीं बैठक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बोर्ड से जुड़े नीतिगत विषयों, योजनाओं

के प्रभावी संचालन और लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान मंत्री ने बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह वेबसाइट



और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई तथा खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।

उद्योग मंत्री ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विभागीय कार्यक्रमों

योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी आम नागरिकों, उद्यमियों और लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाएगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. नजीम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

टीपीडीएस में गेहूं के आटे के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कर्नाटक हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट (केएचपीटी) और ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन (जीएआईएन) के सहयोग से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में गेहूं के आटे के सुदृढ़ीकरण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम ने राज्य सरकार की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संस्थागत क्षमता विकास, विभागों के बीच समन्वय और सतत तकनीकी सहयोग को प्रभावी क्रियान्वयन की प्रमुख आवश्यकता बताया। इस अवसर पर उन्होंने गेहूं के आटे के सुदृढ़ीकरण पर आधारित व्यापक नीति दस्तावेज भी जारी किया, जो भविष्य की कार्ययोजना का मार्गदर्शन करेगा।

विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सुदृढ़ीकृत

गेहूं का आटा टीपीडीएस को और अधिक प्रभावी बनाएगा तथा कमजोर व पोषण की दृष्टि से जोखिमग्रस्त वर्गों के हित में महत्वपूर्ण साबित होगा।

तकनीकी सत्रों का संचालन केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक सुरेश सखारे द्वारा किया गया, जिसमें सुदृढ़ीकरण से जुड़े तकनीकी पहलुओं, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

जीएआईएन की प्रिया भट्टाचार्य और केएचपीटी की मिहिका वक्लू ने प्रक्रिया दस्तावेज के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए और अनुमोदन प्रक्रियाओं सहित हितधारकों की सहभागिता को कार्यक्रम की सफलता के लिए निर्णायक बताया।

कार्यशाला में जिला स्तर के अधिकारियों, मिल संचालकों और टीपीडीएस से जुड़े अन्य हितधारकों ने भाग लिया तथा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के जमीनी क्रियान्वयन से संबंधित अनुभव, चुनौतियां और सुझाव साझा किए।

कांग्रेस सरकार झूठ और भ्रम की राजनीति कर रही है: बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नाहन में

गारंटियां पूरी करने का दावा किया है, जबकि महिलाओं को 1500 रुपये



आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुये आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार झूठ, भ्रम और धोखे की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिला गारंटी और दूध खरीद को लेकर किए गये दावे पूरी तरह भ्रामक हैं।

डॉ. बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से 10 में से 7

प्रतिमाह देने की घोषणा आज तक जमीन पर लागू नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि गारंटी पूरी हो चुकी है, तो सिरमौर सहित प्रदेश की महिलाओं को यह राशि क्यों नहीं मिली।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की 28 लाख महिलाओं को यह लाभ पहली कैबिनेट बैठक से मिलना

चाहिए था, लेकिन अब तक किसी के खाते में राशि नहीं पहुंची। डॉ. बिंदल ने कहा कि यही स्थिति किसानों के लिए दूध खरीद की गारंटी की है, जिसे लेकर बड़े दावे किए गये, लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद एक लीटर दूध भी नहीं खरीदा गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब प्रदेश की जनता सच्चाई समझ चुकी है। उन्होंने सरकार को दिशाहीन और लक्ष्यविहीन बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी के अंतर को जनता के सामने उजागर करती रहेगी।

इस अवसर पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डीजी ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष धीरज, नाहन विधायक रीना, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शिवानी वर्मा तथा महामंत्री उपेंद्र सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।

स्मार्ट सिटी मिशन में प्रदेश की 93 % परियोजनाएं पूर्ण: सुरेश कश्यप

शिमला/शैल। लोकसभा में भाजपा सांसद सुरेश कश्यप द्वारा



पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट सिटी मिशन में प्रभावी भागीदारी और परियोजनाओं की प्रगति का विवरण साझा किया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि देशभर में 100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल

सेंटर (ICCC) स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से शहरी सेवाओं जैसे यातायात प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया, सुरक्षा, स्वच्छता और जलापूर्ति का रियल-टाइम प्रबंधन किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश के दो स्मार्ट शहर - शिमला और धर्मशाला - इस मिशन के तहत शामिल हैं। राज्य में कुल 1552 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से 1294 करोड़ रुपये की 272 परियोजनाएं (93%) पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष 19 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। यह आंकड़ा राज्य की तेज कार्यान्वयन क्षमता और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है।

लोकसभा में दिए गए उत्तर में यह भी बताया गया कि ICCC के

माध्यम से नागरिक डेटा का उपयोग यातायात प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जलापूर्ति जैसी सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। सभी डेटा सुरक्षा मानकों और गोपनीयता नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, ई-सेवाएं और मोबाइल एप आधारित शिकायत निवारण प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया है।

सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नीतिगत घोषणाओं को जमीनी परिणामों में बदलने के प्रति प्रतिबद्ध है और राज्य की जनता इसका प्रत्यक्ष लाभ उठा रही है।

रेल परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर हर्ष महाजन ने राज्य सरकार को घेरा

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं की धीमी प्रगति के लिए राज्य सरकार की लापरवाही और प्रतिबद्धता की कमी



को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन परियोजना 63 किमी का कार्य कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण प्रभावित हो रहा है।

महाजन ने बताया कि इस परियोजना में केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत वित्तीय

योगदान दे रही है। इसके अतिरिक्त, 70 करोड़ रुपये से अधिक की भूमि लागत राज्य सरकार को वहन करनी है। परियोजना के लिए 124 हेक्टेयर भूमि आवश्यक थी, लेकिन अब तक केवल 82 हेक्टेयर ही उपलब्ध कराई गई है, जिससे कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है।

सांसद ने कहा कि कुल 5252 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जबकि हिमाचल सरकार को 2711 करोड़ रुपये का योगदान देना था। अब तक केवल 847 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जिससे 1863 करोड़ रुपये का बकाया परियोजना की प्रगति में बाधक बन रहा है।

हर्ष महाजन ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार हिमाचल के लिए रेलवे और अवसंरचना पर अब तक अभूतपूर्व बजट दे रही है। वर्ष 2009-14 में औसतन 108 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होते थे, जो 2025-26 में बढ़कर 2716 करोड़ रुपये हो गए हैं। इसके तहत नांगल बांध ऊना अंब

अंदौरा दौलतपुर चौक, चंडीगढ़ बड़ी, बड़ी घानाउली और दौलतपुर चौक तलवारा जैसी परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है या डीपीआर तैयार है।

उन्होंने रणनीतिक परियोजनाओं जैसे बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन पर भी राज्य सरकार की उदासीनता की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,31,000 करोड़ रुपये है और इसमें 270 किमी सुरंगें शामिल हैं।

महाजन ने कहा कि किसी भी रेलवे परियोजना की सफलता भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, कानून व्यवस्था और राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने चेताया कि भाजपा हिमाचल के हितों के साथ समझौता नहीं होने देगी और केंद्र की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी।

यह बयान राज्य में रेल परियोजनाओं की प्रगति और केंद्र-राज्य सहयोग की महत्ता को उजागर करता है।

हिमाचल पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान: सुरेश कश्यप

शिमला/शैल। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप द्वारा लोकसभा में पर्यटन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने जो जानकारी प्रस्तुत की है, उससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा मिलने की संभावना व्यक्त की गई है।

लोकसभा में पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा दिये गये लिखित उत्तर में बताया गया कि भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रोड शो, डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियानों, विदेशी टूर ऑपरेटर्स के साथ सहयोग और वैश्विक पर्यटन मेलों में भागीदारी के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इन पहलों का लाभ हिमाचल प्रदेश जैसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों को मिल रहा है।

केंद्र सरकार के अनुसार, भारत की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहर, आध्यात्मिक स्थल, पर्वतीय और साहसिक पर्यटन को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से प्रस्तुत किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अपने हिमाच्छादित पर्वतों, धार्मिक स्थलों, इको-टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और साहसिक गतिविधियों के कारण विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

हिमाचल के राष्ट्रीय राजमार्गों पर संसद में रखे गये ठोस तथ्य और आंकड़े: डॉ. राजीव सहजल

शिमला/शैल। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सहजल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के सुदृढ़ को भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा में तथ्यों व आधिकारिक आंकड़ों के साथ लगातार उठाया है।



उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता इन तथ्यों को नजरअन्दाज कर रहे हैं और प्रदेश हितों के बजाये राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं।

डॉ. सहजल के अनुसार, संसद में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 के मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में 50,000 मीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए, जिनका प्रमुख कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट रहे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थायी बहाली के लिये 513 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, किरतपुर-मनाली कॉरिडोर पर लगभग 544 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत अथवा प्रक्रियाधीन हैं, जिनका उद्देश्य

पर्यटन मंत्रालय की 'देखो अपना देश', 'भारत गौरव', 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद योजना' जैसी योजनाओं के तहत हिमाचल के पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है।

उत्तर में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ग्रामीण पर्यटन और इको-टूरिज्म को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इससे हिमाचल के दूरदराज क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने में मदद मिल रही है और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित G20 बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी हिमाचल सहित कई पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है।

सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि लोकसभा में दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पहचान के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के विस्तार से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और आने वाले समय में राज्य के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित होने की संभावनाएं बढ़ी हैं।

कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना है।

डॉ. सहजल ने बताया कि परवाणू-सोलन-शिमला (एनएच-5) खंड पर मलबा हटाने और सुरक्षा कार्यों के लिए 3.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है और वहां यातायात बहाली सुनिश्चित की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि शिमला-मटौर, पठानकोट-मंडी, मंडी-मनाली और धर्मशाला-मैक्लोडगंज सहित कई प्रमुख मार्गों पर अस्थायी बहाली का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि स्थायी कार्यों की समयसीमा 2025-26 निर्धारित की गई है।

पूर्व मंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्यों के लिए आपदा-रोधी (डिजास्टर-रेजिलिएंट) हाईवे अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत जियो-सिंथेटिक रिइनफोर्समेंट, स्लोप स्टेबलाइजेशन, रॉक-फॉल बैरियर और अल्टी वार्निंग सिस्टम जैसी तकनीकों को अपनाया जा रहा है, जिनमें परवाणू-सोलन खंड पर अल्टी वार्निंग सिस्टम भी शामिल है।

डॉ. सहजल ने कहा कि इन स्वीकृतियों और आंकड़ों के बावजूद कांग्रेस नेताओं द्वारा भ्रम फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि भाजपा हिमाचल की सड़क कनेक्टिविटी और जन-सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और संसद में प्रदेश से जुड़े मुद्दों को तथ्यों के साथ उठाती रही है।

सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप: जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर

रहा है, जबकि संबंधित विभागों को निष्पक्ष एवं कानूनी प्रक्रिया



ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति परंपरागत रूप से विकास और सहयोग पर आधारित रही है, लेकिन वर्तमान सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है जिसके दूरगामी परिणाम प्रदेश हित में नहीं होंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों, जिन्होंने सरकार का समर्थन नहीं किया, उनके खिलाफ प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और विभागों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कदमों का परिणाम अंततः सरकार को भुगतना पड़ता है।

नेता प्रतिपक्ष ने हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि अवैध खनन से जुड़े मामले में पुलिस स्वयं शिकायतकर्ता बनी, जबकि संबंधित विभाग की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत से वंचित रखने के लिए गंभीर धाराएं जोड़ी गईं और विधायक को बार-बार थाने बुलाया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पूर्व कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों, तथा भाजपा नेताओं के परिवारों को प्रताड़ित किया जा

अपनानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित परिवारों से जुड़े मामलों में भी मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस कारवाई संवेदनशीलता के अनुरूप होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि उन अन्य विधायकों और नेताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा है, जिन्होंने सरकार का विरोध किया या उसका साथ छोड़ दिया।

जयराम ठाकुर ने कांगड़ा कार्निवल के आयोजन को लेकर जारी पत्र पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी

अधिसूचित कार्यक्रम है, ऐसे में इसके आयोजन का खर्च आम जनता से वसूला जाना उचित नहीं है। उन्होंने पूछा कि पत्र जिला प्रशासन के बजाये किसी अन्य स्तर से क्यों जारी किया गया और उसमें आधिकारिक बैंक खाता विवरण क्यों नहीं दिया गया।

उन्होंने आशंका जताई कि यदि दान या सहयोग लिया जा रहा है तो उसकी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और दाताओं को आयकर नियमों के तहत लाभ की जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विभाग को राजनीतिक प्रचार से दूर रहकर तथ्यात्मक और संतुलित सूचना प्रसारित करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए कार्य करने की सलाह दी।

जयराम ठाकुर ने आपदा राहत से जुड़े मामलों में भी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए, उनके खिलाफ पुलिस कारवाई की खबरें सामने

आई हैं, जो संवेदनशीलता के अभाव को दर्शाती हैं।

उन्होंने बंजार और धर्मपुर क्षेत्रों में कथित अवैध कटान और अवैध खनन के मामलों पर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और कारवाई की मांग की।

जयराम ठाकुर ने कहा

कि प्रतिशोध आधारित राजनीति प्रदेश की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि प्रशासनिक कारवाई पारदर्शिता, कानून सम्मत प्रक्रिया और तटस्थता के आधार पर की जाये तथा असहमति को अपराध की तरह न लिया जाये।

आगामी दो वर्षों में 500.....पृष्ठ 1 का शेष

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन, कप्रेस्ड बायोगैस, भू-तापीय ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा

कि इन निरंतर पहलों के माध्यम से वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी ग्रीन एनर्जी राज्यों में शामिल करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है।

संसद के शीतकालीन सत्र.....पृष्ठ 1 का शेष

उन्होंने कहा कि विपक्ष के असहयोग और व्यवधान के बावजूद सरकार ने सदन में जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया और विधायी कार्यवाही को आगे बढ़ाया। अनुराग ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि सत्र के दौरान कुछ दलों का राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम'

को लेकर विरोध सामने आया, जिसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार संसद के माध्यम से देश की जनता से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने और राष्ट्रहित में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।

मनरेगा को समाप्त करने का दावा भ्रामक: डॉ.राजीव भारद्वाज

शिमला/शैल। भाजपा सांसद एवं उपाध्यक्ष डॉ. राजीव भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह



सुक्खू के कांगड़ा जिला के इंदौरा में दिये गये ब्यान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनरेगा को समाप्त किए जाने का आरोप तथ्यहीन और भ्रामक है। उन्होंने

कहा कि ऐसे बयानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है।

डॉ. भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त नहीं किया है, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के रूप में संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ किया गया है। उनके अनुसार, नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि संशोधित ढांचे के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधनों के सृजन और जलवायु अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे गांवों में दीर्घकालिक विकास और रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे।

डॉ. भारद्वाज ने संसद में हालिया विधायी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधित विधेयक पर व्यापक चर्चा हुई और बड़ी संख्या में सांसदों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने

की सहमति व्यक्त की गई थी।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाये रखना सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है और संसदीय मर्यादाओं का पालन लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।

डॉ. भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण भारत को रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत सुधारों पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों के साथ जनता के बीच अपनी बात रखती रहेगी और किसी भी प्रकार के भ्रम का निराकरण किया जाएगा।